तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.50/2023**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
19.5.2023	पत्रावली आज पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी नरेश कुमार पुत्र मंसाराम कुमावत, जाति– कुमावत, निवासी– कुम्हार मोहल्ला, सांतपुर, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म पूर्णिमा किराणा स्टोर, नया खेडा, सांतपुर, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 06.2.2022 को फर्म पूर्णिमा किराणा स्टोर, नया खेडा, सांतपुर, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी नरेश कुमार से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (मध्या ब्राण्ड) का का नमूना संख्या S-1656 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./420/Act/2022/413 दिनांक 21.2.2022 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया, जिस पर प्रतिवादी इस न्यायालय में दिनांक 17.5.2023 को उपस्थित हुआ एवं जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि उसका व्यापार छोटा है एवं खाद्य पदार्थ घी (मध्या ब्राण्ड) का बिल गुम हो गया है। भविष्य में वह अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय नही करेगा, इसलिये कम से कम जुर्माना करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) ने दिनांक 06.2.2022 को फर्म पूर्णिमा किराणा स्टोर, नया खेडा, सांतपुर, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी नरेश कुमार पुत्र मंसाराम, जाति– कुमावत, निवासी– कुम्हार मोहल्ला, सांतपुर, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही से दुकान की आलमारी की रैक में आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (मध्या ब्राण्ड) के [illegible] एल.) में से खाद्य पदार्थ घी (मध्या ब्राण्ड) के 4 [illegible] (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्ष[illegible]ना जांच हेतु गवाह के [illegible] कार्यवाही ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:23:09 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.50/2023**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	करते हुए खाद्य पदार्थ घी (मध्या ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1656 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./420/Act/2022/413 दिनांक 21.2.2022 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी नरेश कुमार ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (मध्या ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (मध्या ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी नरेश कुमार पुत्र मंसाराम कुमावत, जाति– कुमावत, निवासी– कुम्हार मोहल्ला, सांतपुर, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म पूर्णिमा किराणा स्टोर, नया खेडा, सांतपुर, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। प्रतिवादी नरेश कुमार को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 7 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 20.6.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड़) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:23:09 IST
Reason: SelfAttested